



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक-31/10/2021

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा दो शातिर किस्म के मोबाइल चोर 01 अदद चोरी का मोबाइल के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 31.10.2021 को समय 00.40 बजे थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा अपसरा बार्डर झुग्गी झोपड़ी दिल्ली के पास से मुखविर की सूचना पर अभियुक्त 1.शेख जहाँगीर पुत्र शेख रहमान नि0 ई 44ए 965 नई सीमापुरी दिल्ली 2.मुस्ताक पुत्र हपीजुल नि0 ई 44 बी 134 नई सीमापुरी दिल्ली को 01 अदद चोरी की मोबाइल व 2300/- रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसमे से 01 अदद मोबाइल थाना हाजा के सम्बन्धित मु0अ0सं0 618/2021 धारा 379/427/411 भादवि0 की बरामद की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शेख जहाँगीर पुत्र शेख रहमान नि0 ई 44ए 965 नई सीमापुरी दिल्ली।
2. मुस्ताक पुत्र हपीजुल नि0 ई 44 बी 134 नई सीमापुरी दिल्ली।

बरामदगी का विवरण -

1. 01 अदद मोबाइल सैमसंग जे 7 सम्ब0 मु0अ0सं0 618/21 धारा 379/427/411 भादवि

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 0618/2021 धारा 379/427/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

श्री ब्रिजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक
उप नि0 अंकित तरार
है0का0 1368 रिकू पुनिया
का0 3169 अनुज कुमार
का0 3100 संजीव राणा

(एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी किये गये 04 श्री व्हीलर आटो एक स्विफ्ट डिजायर कार एक एस्टीम कार एक बुलेट मो0सा0 एक पल्सर मो0सा0 एक पैशन प्रो मो0सा0 एक हीरो एचएच डीलक्स मो0सा0 एक डिस्कवर मो0सा0 एक टीवीएस स्कूटी सहित कुल 12 वाहन एवं एक तमंचा 315 बोर एव एक जिंदा कारतूस 315 बोर एक अदद चाकू एवं विभिन्न वाहनों की 29 चाबी तथा वाहनों के लाक तोडने वाली मास्टर चाबी बरामद)

कार्यवाही:-एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री पवन कुमार के निकट निर्देशन व व श्रीमान पुलिस अधीक्षक

नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 31.10.2020 को थाना इन्दिरापुरम के क्षेत्र साईं मन्दिर तिकोना पार्क के पास से वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण प्रदीप व रोहित को चोरी किये गये वाहनों सहित गिरफ्तार किया गया। विस्तृत पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग एनसीआर क्षेत्र में मौका देखकर वाहन चोरी करते हैं तथा चोरी किये गये वाहनों को उचित दामों पर बेच देते हैं। अभियुक्तगण शातिर किस्म के वाहन चोर हैं जिनके अपराधिक इतिहास व अन्य घटित घटनाओं के सम्बंध में गहनता से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:—

1. प्रदीप सिंह पुत्र शिवराम सिंह उम्र 22 वर्ष जाति लोधी राजपूत निवासी 25 फुटा रोड आर्यभट्ट स्कूल के पास गांव बहरामपुर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद स्थाई पता गांव कचौरा रोड हरदासपुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

2. रोहित कुमार पुत्र भगवान सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी 25 फुटा रोड आर्यभट्ट स्कूल के पास गांव बहरामपुर थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद स्थाई पता गांव धर्मपुर टप्पा बैस थाना जरीफनगर जिला बदायूं।

अपराध करने का तरीका:—

अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं जो अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर एनसीआर क्षेत्र में घूम-घूमकर रैकी कर वाहनों को अपना निशाना बनाते हैं तथा मौका देखकर अपने चोरी करने वाले उपकरणों का प्रयोग कर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं तथा चोरी किये गये वाहनों को आसपास के अन्य क्षेत्रों व पार्किंगों में छुपा देते हैं।

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण:— कुल 12 वाहन

04 श्री व्हीलर आटो,

एक स्विफ्ट डिजायर कार,

एक एस्टीम कार,

एक बुलेट मो0सा0, एक पल्सर मो0सा0, एक पैशन प्रो मो0सा0, एक हीरो एचएफ डीलक्स मो0सा0, एक

डिस्कवर मो0सा0,

एक टीवीएस स्कूटी सहित

एक तमंचा 315 बोर एव एक जिंदा कारतूस 315 बोर एक अदद चाकू एवं

विभिन्न वाहनों की 29 चाबी तथा वाहनों के लाक तोड़ने वाली मास्टर चाबी

अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहास:—

अभियुक्त प्रदीप का अपराधिक इतिहास

क्र०स	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
0				
01	2282/21	411,414,482 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

02	2283/21	3/25 आयुध अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
----	---------	-------------------	------------	-----------

अभियुक्त रोहित का अपराधिक इतिहास

क्र०स	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
0				
01	2282/21	411,414,482 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
02	2284/21	4/25 आयुध अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1:- उ०नि० श्री श्री भुवन चन्द्र शर्मा थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 2:- है०का० 1637 महेश बाबू थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 3:- का० 1117 पुष्पेन्द्र कुमार थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 4:- का० 3122 उपेन्द्र कुमार थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 5:- का० 2876 रोहन सिंह थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 6- का० 528 अक्षय कुमार थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 7--- का० 1810 रिकु शर्मा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 8---- हो०गा० 1427 मिन्दु कुमार थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा एक किलो 100 ग्राम गांजा व चोरी की एक स्कूटी के साथ एक शातिर गांजा तस्कर / वाहन चोर गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 30.10.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त फैजल को एक किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा व चोरी की एक स्कूटी, से० 9, आर्मी ग्राउण्ड के पास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1-फैजल पुत्र हकीमुद्दीन नि०, मीना मस्जिद के पास, दुधिया पीपल, डासना, थाना मसूरी, गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 1478/21 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गा.बाद

2- मु.अ.सं. 1479/21 धारा 411 भादवि थाना विजयनगर, गा.बाद

3- मु.अ.सं. 569/21 धारा 379 भादवि थाना टीलामोड, गा.बाद

बरामदगी का विवरण

1- एक किलो 100 ग्राम गांजा नाजायज

2- एक स्कूटी एक्टवा न. UP 14 DH 4946 सम्बन्धित मु.अ.सं. 569/21 धारा 379 भादवि थाना टीलामोड

गिरफ्तारी/सहयोग करने वाली पुलिस टीम

1-SHO श्री योगेन्द्र मलिक

2-SI श्री अरूण कुमार

3-है0का0 721 सुरेन्द्र

4-है0कां0 707 नीरज कुमार

5-कां0 2307 विमल किशोर

थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद से मु0अ0सं0 635/10 धारा

392/411 भादवि में वांछित / रु25,000/- का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही:—श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री पवन कुमार के निकट निर्देशन व व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.10.2020 को थाना कटघर जनपद मुरादाबाद क्षेत्र पीतलनगरी रोडवेज बस अड्डा के पास से वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण दीपक उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया। दीपक उपरोक्त वर्ष 2010 में थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद के मु0अ0सं0 635/10 धारा 392,411 भादवि में वांछित चल रहा था जिस पर रु. 25,000/- का पुरस्कार भी घोषित था। अभियुक्त दीपक के अपराधिक इतिहास व अन्य घटित घटनाओं के सम्बंध में गहनता से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:—

1. दीपक उर्फ पप्पू पुत्र मुखलाल उम्र 60 वर्ष निवासी आदर्श नगर कालोनी थाना सिविल लाइन जिला मुरादाबाद

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:—

अभियुक्त दीपक का अपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
01	635/10	392,411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:—

- 1:— उ०नि० श्री राघवेन्द्र सिंह
- 2:— है०का० रामजीलाल
- 3- है०का० दिनेश कुमार
- 4- का० कुलदीप
- 5 - कमाण्डो खान मौहम्मद

थाना मोदीनगर क्षेत्र ग्राम मानकी मे तीन दिन पूर्व हुई हत्या का खुलाशा तथा एक अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार घटना मे प्रयुक्त आला कत्ल व घटना मे प्रयोग की गयी ई रिक्शा व मोबाइल आदि बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार महोदय के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु० अ० स० 960/21 धारा 302/201 भादवि का अनावरण करते हुये मृतक हारुन पुत्र बली मोहम्मद निवासी ग्राम मानकी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद की श्रीमती नरगिस व मृतक के मामा के लडके आस मौहम्मद उर्फ आसू पुत्र स्व० मुन्ना मानकी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मानकी मोदीनगर से दिनांक 31/10/21 की रात्रि को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आस मौ० उर्फ आसू की निशादेही से हत्या मे प्रयुक्त छुरी (आलाकत्ल) व एक अदद मोबाइल फोन व सिम व घटना मे प्रयुक्त की गयी ई रिक्शा बरामद किया गया है। अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त आशू उर्फ आस मौहम्मद पुत्र स्व० मुन्ना निवासी ग्राम आबिदपुर मानकी थाना मोदीनगर गाजियाबाद ने पूछने पर बताया कि मैं बैटरी ईरिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हुं मृतक हारुन मेरी बुआ का लडका था मेरी बुआ सकीला कई साल पहले अपने गांव सारा मोदीनगर से आकर यंहा रह रही थी मेरे पापा व चाचाओं ने मिलकर मेरी बुआ को रहने के लिए घर दे दिया था तव से मेरी बुआ यही रह रही थी मृतक हारुन मेरी बुआ का इकलौता पुत्र था जो ड्राईवर का कार्य करता था हारुन की शादी लगभग 10-11 साल पुर्व नरगिस से हुई थी इन दौनो का एक लडका एक लडकी है मेरा हारुन के घर पर आना जाना था। नरगिस ने मुझे बताया कि हारुन मुझे काफी परेशान करता है तथा कभी कभी शराब पीकर मारपीट भी करता है इसी के चलते लगभग 6-7 महीना पहले मेरे सम्बन्ध नरगिस से बन गये और मेरा नरगिस के घर आना जाना वढ गया और हम लोगो के मध्य अवैध सम्बन्ध बन गये। मैने नरगिस को बात करने के लिए एक मोबाइल फोन और सिम भी दे रखा था जिससे हम दौनो की आपस में बात होती थी जब हारुन घर से वाहर काम पर जाता था तव मैं मौका पाकर हारुन के घर नरगिस से मिलने के लिए हारुन के घर जाता था हम दौनो एक दुसरे के विना नहीं रह सकते है इसलिए हारुन को रास्ते से हटाने की कुछ दिन पूर्व नरगिस और मैने हारुन को मारने की योजना बनायी और सही मौके की तलाश करने लगे और दिनांक 27.10.2021 की शाम समय करीव 7.30 से 8.00 बजे के आस पास मैं हारुन को उसके घर से वुलाकर अपने घर ले गया और मेरे कुछ देर बाद नरगिस भी मेरे घर पर आ गयी इसके बाद हम दौनो ने सही मौका पाकर मैने हारुन को जमीन पर गिरा लिया उसके बाद हम दोनो ने छुरी से उसकी गर्दन काट दी थी। इसके बाद मेने व नरगिस ने हारुन की गर्दन पर पिन्नी व कपडा लपेटा ताकि खून न टपके इसके बाद हम अपनी ई रिक्शा में रखकर गांव के वाहर वम्बे के किनारे पैडी पर फैंक आये थे। और वापस आकर अपने अपने घर चुपचाप चले गये थे इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पायी थी।

मृतक का नाम पता-

1. हारुन पुत्र बली मोहम्मद निवासी ग्राम मानकी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त-

1-आस मौहम्मद उर्फ आसू पुत्र स्व० मुन्ना निवासी ग्राम मानकी मोदीनगर गा० बाद उम्र 26 वर्ष

2- नरगिस पत्नी स्व० हारुन नि० ग्राम मानकी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु भादवि 201/302 धारा 21/960 स0 अ0 0
2. मु0 अ0 स0 964/21 धारा 4/25 A ACT बनाम आस मौहम्मद उर्फ आसू

बरामदगी का विवरण-

1. एक छुरा बरामद (आलाकत्ल)
2. ई रिक्शा बरामद
3. एक अदद फोन मय सिम

गिरफ्तारी / सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री मुनेन्द्र सिंह
2. उ0 नि0 जयसिंह निगम
3. उ0 नि0 दिलशाद अहमद
4. है0 का0 1576 भूपेन्द्र बालियान
5. का0 3734 शुभम
6. म0 का0 2649 रीतू

थाना ट्रानिका सिटी पुलिस द्वारा बसों में से एलईडी चोरी करने वाले गिरोह के दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-31.10.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र चन्द पन्त की टीम द्वारा दिनांक:-

30.10.2021 समय 23.20 बजे दौराने चैकिंग हनुमान चौक से दिल्ली सहरानपुर रोड की तरफ से 02 अभियुक्तगण 1. भानू उर्फ

गोलू गुप्ता पुत्र सुधीर कुमार गुप्ता निवासी शिव विहार द्वितीय

पावी सादकपुर थाना ट्रानिका सीट उम्र करीब 23 वर्ष 2. शहनवाज पुत्र रियासत निवासी पाल होटल वाली गली पूजा कालोनी मूल पता पिलखुआ हापुड उम्र करीब 21 वर्ष के को चोरी की तीन एल ई डी के

साथ गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग बसों से एलईडी चोरी कर लोगों को उचित दामों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-



1. भानू उर्फ गोलू गुप्ता पुत्र सुधीर कुमार गुप्ता निवासी शिव विहार द्वितीय पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सीट उम्र करीब 23 वर्ष

2. शहनवाज पुत्र रियासत निवासी पाल होटल वाली गली पूजा कालोनी मूल पता पिलखुआ हापुड उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भानू उर्फ गोलू व शहनवाज उपरोक्त -

1. मु0अ0स0-724/21 धारा 379/411/3 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद 02उपरोक्त।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
2. उ0नि0 यू0टी0 श्री अरूण कुमार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
3. उ0नि0 यू0टी0 धर्मेन्द्र सिंह थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
4. का0 980 शशिकान्त थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

03 अदद एलईडी नाजायज बरामद।

04 वांछित अभियुक्त तमंचे के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 31.10.21 थाना भोजपुर, गाजियाबाद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 597/21 धारा 452,323,504,506 भादवि. के वांछित अभियुक्तगण 1.मनोज पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद हाल म 0नं067/05 गोविन्दपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद, 2. वासु पुत्र सुधीर निग्राम रोरी थाना मोदीनगर 0 जिला गाजियाबाद, 3 .नितिन पुत्र जितेन्द्र सिंह निग्राम पूठरी थाना निवाडी जिला गाजियाबाद 0, 4. विवेक पुत्र राजकुमार निग्राम सैदपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद 0 को ग्राम जोया में जोया दतैडी मार्ग पर ट्यूबैल के पास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त मनोज उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोका कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मनोज पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद हाल म 0नं067/05 गोविन्दपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद

2. वासु पुत्र सुधीर निग्राम रोरी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद 0,
3. नितिन पुत्र जितेन्द्र सिंह निग्राम पूठरी थाना निवाडी जिला गाजियाबाद 0,
4. विवेक पुत्र राजकुमार निग्राम सैदपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद 0,

अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0स0 597/21 धारा 452,323,504,506 भादवि थाना भोजपुर गाजियाबाद
2. मु0अ0स0 598/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर गाजियाबाद बनाम मनोज उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनुज कुमार, थाना भोजपुर गाजियाबाद
2. उ0नि0 श्री सौरभ राठौर, थाना भोजपुर गाजियाबाद
3. हे0कां0 406 राजेन्द्र कसाना, थाना भोजपुर गाजियाबाद
4. हे0कां0 476 रवि कुमार, थाना भोजपुर गाजियाबाद
5. कां0 1106 मौ0 आरिफ, थाना भोजपुर गाजियाबाद